

05/8/22

परावली वेश हुई। उभयपक्षकारान वकील अजुगु
 न्यायालय समय में प्रावर्तिनी वकील व
 प्रावर्तिनी को रक-रक कर तीन बार
 आवाज लगाई गई। म जो प्रावर्तिनी स्वयं
 उप०। न ही प्रावर्तिनी वकील उप०। मतः
 प्रावर्तिनी का प्रावर्तिना वर अवम पंखी अवम
 काजरी में खारीज किया जात ही

परावली कीमल शुमार दोषर
 फरत हो। दरंगा से मत हो।



(Signature)